श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें भोजन के लिये बीच में अवकाश नहीं मिल रहा है । आज और कल सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी और भोजन के समय गणपूर्ति में कमी रह सकती है । अतएव इन दो दिनों के लिये एक एक घंटे का अवकाश दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को विदित है कि यह अभिसमय सभा द्वारा निश्चित किया गया है । इसमें किसी पुनरीक्षण की ज़रूरत नहीं है, किन्तु एक बजे से ढाई बजे के बीच में कोई मतदान नहीं होगा ।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना): क्या इस का हम यह अथ समझें कि इस बीच गणपूर्ति की भी आवश्यकता नहीं होगी ?

अध्यक्ष महोदय: मैं स्वयं यह नहीं कहना चाहता, क्योंकि गणपूर्ति संविधान के अनुसार आवश्यक है । किन्तु जब तक अध्यक्ष का ध्यान उस ओर न आकर्षित किया जाय तब तक कार्यवाही जारी रखी जा सकती है ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : श्रीमान्, मुझे यह कहना है कि एक बजे से ढाई बजे के बीच में मौखिक मत लिया जा सकता है यदि कोई मतभेद न हो । उस समय यदि गणपूर्ति न हो तो कार्यवाही स्थगित की जा सकती है अन्यथा काम चलता रह सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय में यदि कोई विवाद हुआ तो हम इस पर विचार करेंगे ।

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: अब सभा संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक पर जैसा कि उसे संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया है चर्चा आरम्भ करेगी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये"

सभा को याद होगा कि संयुक्त समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर जब चर्चा हुई थी तो हमने पूर्ण रूप से वादविवाद किया था और वह वादविवाद बहुत ही लाभदायक रहा था, और इतनी बड़ी सभा के एक असाधारण रूप से बड़े बहुमत ने इस बात से अपनी सहमति प्रकट की थी कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये । विरोध करने वाले केवल ८ या ९ सदस्य थे । जब यह विषय दूसरी सभा के समक्ष गया तो उसने सर्व सम्मति से इसे प्रवर समिति को सौंपने का विनिश्चय किया ।

इस विधेयक के पीछे आश्चर्यजनक रूप से इतने भारी बहुमत के होते हुये भी यदि आप कभी उस आलोचना को पढ़ें या सुनें जो इस सभा के बाहर की जाती है, तो आपको ज्ञात होगा कि इस विषय पर बहुत भारी मतभेद है, और कहा जाता है कि इसका अभिप्राय बहुत ही असाधारण है । परन्तु वास्तविकता यह है कि दोनों सभाओं के सदस्यों ने जिनका इस विधेयक से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है और जिन्होंने पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के तर्क सुने हैं, जो निष्कर्ष निकाला है वह संविधान के इस संशोधन के पक्ष में है ।

प्रवर समिति में विभिन्न दलों के तथा विभिन्न विचारों के व्यक्ति थे और उन्होंने इस समस्या पर बहुत ही सहयोगपूर्ण दृष्टि

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में जो बहुत बड़ी सूची दी गई है उसके देने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

[श्री चटर्जी ने अपनी विमति टिप्पणी का आरम्भ करते हुये यह कहा है कि भारतीय संविधान के बनाने वालों ने जान बूझ कर कुछ मूल अधिकारों की व्यवस्था की थी । मैं भी संविधान बनाने वालों में से एक था और मैं निवेदव करना चाहता हूं कि हमने अपना अभिप्राय स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया था और जो हमने उस समय अनुच्छेद ३१(२) के सम्बन्ध में कहा था वही हमने इस प्रतिवेदन में कहा है । जो बातें हमने आज कही हैं वही हमने चार पांच वर्ष पहले कही थीं । पहले भी हमने कहा था कि प्रतिकर के परिणाम के सम्बन्ध में विनिश्चय करने का अधिकार विधान मण्डल को प्राप्त होगा । यदि विधान मण्डल कोई ऐसा कार्य करे जो संविधान के साथ एक प्रकार का धोखा समझा जाये तो बात और है, अन्यथा इस सम्बन्ध में विधान मण्डल के विनिश्चय पर आपत्ति उठाने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं होगा । यह साधारण सी बात है, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें जायदादें ज़ब्त करने का प्रश्न कहां उत्पन्न होता है । एक महान् राजनीतिक विचारक का उद्धरण देते हुये श्री चटर्जी कहते हैं कि, "लोग अपनी सम्पत्ति के ज़ब्त किये जाने की बात की अपेक्षा अपने सम्बन्धियों की मृत्यु को जल्दी भूल जायेंगे ।" इस देश मे हम ऐसे लोगों को और अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं जिनको मनुष्य की इतनी चिन्ता नहीं है जितनी कि सम्पत्ति की है ।

श्री एव० सी० चटर्जी बार बार "व्यक्तिगत सम्पत्ति की पावनता" की बात करते हैं जैसे सम्पत्ति कोई दैवी या अर्धदैवी वस्तु हो । सम्पत्ति एक प्रकार का अधिकार है । उस अधिकार को हमने स्वीकार किया है, हम उसकी रक्षा करते हैं और यहां हमने बताया है कि यदि कोई उससे वंचित किया जाय तो उसे किस प्रकार से प्रतिकर दिया जायेगा । परन्तु इस प्रकार सम्पत्ति को दैवी या अर्धदैवी वस्तु बनाना बहुत ही संकीर्ण तथा पुरातन विचारों का परिचय देना है जिनका कि आज की परिस्थितियों से किसी प्रकार का मेल ही नहीं है । मैं समाजवादी या साम्यवादी देशों की बात नहीं करता हूं, मैं तो उन देशों की बात करता हूं जो पूंजीवादी कहे जाते हैं । इस विषय से सम्बन्धित सारी विचारधारा ही आज बदल रही है और कम से कम जहां तक संविधान के इस संशोधन का सम्बन्ध है इस प्रकार के प्रश्न तो उत्पन्न ही नहीं होते हैं ।

फिर श्री चटर्जी ने एक प्रसिद्ध अंग्रेज़ी न्यायशास्त्रज्ञ के कथन का उद्धरण दिया है कि "सार्वजनिक हित निजी सम्पत्ति की रक्षा से अधिक और किसी चीज़ में नहीं है ।" मैं चाहता हूं कि सभा इन शब्दों पर विचार करे । इसी को मैं एक आश्चर्यजनक वक्तव्य कहता हूं कि अधिकतम सार्वजनिक हित केवल निजी सम्पत्ति की रक्षा में ही है । अतः मेरा यह कथन है कि हम इस प्रकार के कथन को एकबारगी ही अस्वीकृत कर दें, चाहे वह कथन किसी का भी क्यों न हो ।

श्री चटर्जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं । किन्तु ऐसा कर कौन रहा है ? क्या यह सम्पत्ति से स्वच्छन्दतापूर्वक वंचित करना है ? पहले तो विधि ऐसा नहीं करती है ; दूसरी विधि में प्रतिकर के सिद्धान्तों पर निश्चित नियम बनाये गये हैं । अतः स्वच्छन्दता कहां आती है ? मैं इसका उल्लेख इसलिये करता हूं कि लोग यह नहीं

देखते हैं कि क्या किया जा रहा है और मझे खेद है कि समाचारपत्रों में लिखने वाले कुछ महानुभाव भी ठीक ठीक नहीं देख पाते कि क्या किया जा रहा है, और वे उसका ठीक मतलब समझे बिना ही लिख मारते हैं वे निरर्थक बातें कहते हैं और इन शब्दों का प्रयोग करते हैं निःस्वाम्यकरण, ज़ब्ती, स्वच्छंद कार्यवाही इत्यादि । इस तरह की कोई बात कहीं नहीं है ।

श्री चटर्जी ने इस सम्बन्ध में अमरीका संविधान का निर्देश किया है । अमरीकी संविधान एक बहुत बड़ा प्रलेख है और उसकी तुलना अपने संविधान के साथ करना अथवा यह कहना कि हमारा संविधान उस पर आधारित है, मैं ठीक नहीं समझता । अमरीकी संविधान का सम्पूर्ण आधार १८वीं शताब्दी की स्थिति पर है । उसमें अमरीकी संविधान के निर्माताओं और उस समय के अमरीकी राष्ट्र की कल्पनाओं की झलक दिखलायी पड़ती है । अतः यह बिलकुल स्पष्ट है कि वह कोई बहुत आधुनिक प्रलेख नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि हमने उसमें से अनेक अच्छी बातें ली हैं किन्तु भारत जैसे एक दूसरे देश में और वह भी २० वीं शताब्दी के मध्य में हम उसको पूरी तौर से मान लें यह कोई उचित बात नहीं है ।

अतः मैं चाहता हूं कि संसद् इन मूलभूत बातों को याद रखे । यहां जिस बात की प्रस्थापना की जा रही है उससे संविधान का अधिक स्पष्टीकरण होगा और उस प्रकार संविधान वास्तव में निर्माताओं की कल्पना के अनुरूप बन जायगा । दुर्भाग्यवश, निर्माताओं ने इसे अधिक स्पष्ट भाषा में नहीं लिखा है और इसी कारण न्यायालयों ने भिन्न भिन्न प्रकार से इसका निर्वचन किया है । पहले तो यह एक स्पष्टीकरण का विषय है । दूसरे यह कहना ग़लत है कि हम कोई स्वच्छंद कार्यवाही, कोई ज़ब्ती की कार्यवाही और निःस्वाम्यकरण की कार्यवाही करने का सुझाव दे रहे हैं । वास्तव में संविधान में यह कहा गया है कि विधि के द्वारा प्रतिकर होना चाहिये । किन्तु यह ठीक है कि प्रतिकर का परिमाण विधान मंडल द्वारा निर्धारित किया जायगा । मैं एकाएकी यह नहीं कह सकता कि किसी मामले विशेष में विधान मंडल क्या करेगी । किन्तु यदि आपको इस देश का शासन लोकतन्त्रात्मक पद्धति से चलाना है तो आपको न केवल इस मामले में वरन् सैकड़ों दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में विधान मंडल पर विश्वास करना होगा । यह विधान मंडल बहुत गम्भीर परिवर्तन करने वाले किसी भी विषय का जैसे युद्ध और शान्ति के विषय का, निबटारा कर सकती है । निश्चय ही उच्चतम न्यायालय उसका निर्णय नहीं करेगा । वह अन्य प्रकार से प्रविधिक प्रश्नों का निपटारा कर सकता है जिसका प्रभाव सम्पत्ति, योजना तथा अन्य बातों पर पड़ेगा और जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक और आर्थिक ढांचे पर भी पड़ेगा । किन्तु ऐसे विषयों में विधान मंडल की इच्छा ही अन्तिम रूप से क़ायम रहेगी । सम्पत्ति के लिये दिये जाने वाले प्रतिकर का प्रश्न अलग करके उसे विधान मंडल के अधिकार क्षेत्र से इस लिये बाहर कर देना कि और कोई विधान मंडल के निर्णय का पुनरीक्षण करे, मुझे एक बिल्कुल ग़लत दृष्टिकोण मालूम पड़ता है, बशर्ते कि आप यह न सोचें कि सम्पत्ति एक अर्ध-दैवी वस्तु है और निजी सम्पत्ति की रक्षा में ही राष्ट्र का सब से अधिक हित है ।

मैं सभा के समक्ष एक सरल संशोधन रखता हूं जो प्रवर समिति में एक सुधार के रूप में रखा गया है । मैं समझता हूं कि अब तर्क वितर्क के लिये विशेष स्थान

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं रह गया है क्योंकि आखिर में वह एक बहुत सरल सा उपबन्ध है ।

मैं यह नहीं समझ पाता कि भय और आशंकाओं से किस प्रकार निपटा जाय । बड़े सन्दर्भ में, आज राष्ट्र एक दूसरे से भयभीत हैं और चूंकि वह भयभीत हैं, वे ग़लत बातें कहते हैं और करते हैं और इस तरह स्थिति और भी अधिक खराब हो जाती है । मैं नहीं जानता कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम क्या करेंगे । यह कदाचित् ठीक है कि इस देश में कुछ लोगों को, कुछ बाहरी लोगों को, सब प्रकार की आशंकायें हैं । कभी कभी यह कहा जाता है कि, "वर्तमान संसद् में तो यह सब ठीक है परन्तु दूसरी संसदों म क्या होगा ?" श्री चटर्जी ने स्वतः इस चित्र की ओर संकेत किया है जब कि वर्तमान सरकार नहीं रहेगी । मुझे हर्ष है कि श्री चटर्जी वर्तमान सरकार के गुण और मूल्य को समझते हैं । किसी समय सुदूर भविष्य के बारे में सोचना कोई बहुत लाभदायक बात नहीं है, खासकर ऐसे समय में जब कि यह कहना बिलकुल स्पष्ट सत्य है कि संसार एक बहुत बड़े संक्रमण काल की दशा में है । यद्यपि हम बड़े बड़े युद्धों से बचने का प्रबन्ध कर भी लें, फिर भी अन्य बड़े बड़े परिवर्तन हुये हैं और हो सकते हैं । प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से समाज का सारा ढांचा बदल रहा है उसी प्रकार जैसे कि औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के परस्पर सम्बन्ध में परिवर्तन कर दिया था । सम्पत्ति विषयक कल्पना भी प्रौद्योगिकीय क्रांति के साथ साथ बदलती जा रही है । इन प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की गति अधिकाधिक तीव्र होती जा रही है । आणुविक शक्ति और अणु बम से बहुत बड़ी शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है जो अवश्य ही मानव के जीवन को बदल देगी और बदल रही है ।

अतः इस परिवर्तनशील युग में, यह कल्पना करना कि मानव के जीवन में सम्पत्ति का अभी भी वही स्थान है जो पहले था, इस बात का द्योतक है कि आपने विचार करना बिल्कुल बन्द कर दिया है । मुझे ये भय और आशंकायें बिलकुल निर्मल मालूम होती हैं । दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां एकाएकी किसी भी समय आ सकती हैं और ऐसी दशा में कोई किसी मिल, या कारखानों के अर्जित किये जाने के विषय में भयभीत हो, तो मुझे यह बात बिलकुल असामयिक मालूम होती है । जहां तक इस सरकार का और मेरा सम्बन्ध है, इस विषय में मेरी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है । व्यक्तिगत रूप से मैं सम्पत्ति का कोई सम्मान नहीं करता । मैं सम्पत्ति के प्रति इस मोह की कभी प्रशंसा नहीं कर सकता । सार्वजनिक भलाई के दृष्टिकोण से मुझे यह बिल्कुल ग़लत मालूम होता है कि दूसरी ओर के कुछ माननीय सदस्य बिना प्रतिकर दिये अर्जन अथवा ज़ब्ती का विरोध करें । साधारणतया मैं नहीं चाहता कि बिना उचित प्रतिकर का भुगतान किये कोई भी सम्पत्ति अर्जित की जाय ।

मुझे इस प्रस्थापना के बारे म कि विदेशी पूंजी को ज़ब्त किया जाय बारबार सुनकर आश्चर्य होता है । इसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं है और इससे अधिक कल्पनात्मक और कोई बात नहीं हो सकती । कोई भी देश दूसरे देश के साथ ऐसा नहीं करता है चाहे वह समाजवादी कम्युनिस्ट अथवा अन्य कोई देश हो बशर्ते कि युद्ध अथवा क्रांति की स्थिति न हो जो कि एक भिन्न विषय है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि सोवियत रूस किसी भी विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं करेगा क्योंकि इस प्रकार परस्पर सम्बन्धों पर, अन्तर्राष्ट्रीय

सम्बन्धों पर बुरा प्रभाव पड़ता है । कुछ थोड़ा सा धन बचाने के लिये कोई भी देश अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों अथवा अपनी साख को बिगाड़ना नहीं चाहता । यह एक अविचारणीय प्रस्थापना है और अन्तर्राष्ट्रीय समाज में ऐसा नहीं किया जाता । सोवियत संघ ने अन्य देशों से किये व्यवहार में अपना वचन हमेशा पूरा किया है । अतः हम विदेशी पूंजी को ज़ब्त कर के इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करने के विषय में चर्चा न करें । हमारा देश इतना ग़रीब देश नहीं है कि हम इस प्रकार की कूटनीति को अपनायें और दुनिया की सद्भावना और अपनी साख खो बैठें और अपने दिल-दिमाग़ में ग़लत काम करने की भावना का पोषण करते रहें ।

हमारे अपने देश में भी जब हम भूमि अथवा अन्य किसी चीज़ के बारे में किसी बड़ी योजना पर विचार करते हैं, तो महत्वपूर्ण बातें हमारे समक्ष आती हैं । हम ज़मींदारी प्रथा या भूमि सम्बन्धी अन्य योजनाओं का विवेचन करते हैं । कभी कभी इसे सामाजिक अभियांत्रिकी की योजना कहा जाता है । इसे कोई भी समझ सकता है किन्तु भूमि अर्जन अथवा वास्तविक सम्पत्ति के अर्जन की सामान्य पद्धति में स्थिति का विवेचन करना असम्भव हो जाता है । हम सम्पूर्ण भूमि का इस प्रकार से अर्जन नहीं कर सकते । ऐसा करना सम्भव नहीं है । अतः हमें क्रमवार काम करना है, अपनी भुगतान करने की क्षमता ज्ञात करनी है, और तब उसे क्रमबद्ध करना है । जैसे कि ज़मींदारी उन्मूलन के मामलों में हमने किया है, तुलनात्मक ग़रीब ज़मींदार को शतप्रतिशत पूरा प्रतिकर मिला है, कुछ को ८० प्रतिशत, कुछ को ७० और कुछ को ६० प्रतिशत मिल सकता है । ज्यों ज्यों आप ऊपर जायें, यह क्रमबद्धता पूर्णतः न्यायोचित है । आप औद्योगिक उपक्रमों को लीजिये । हम इम्पीरियल बैंक को ले रहे हैं, और हमने निर्णय किया है, और जहां तक मुझे ज्ञात है, हम प्रायः पूरा पूरा प्रतिकर दे रहे हैं चाहे वह किसी रूप में क्यों न हो । छोटे मालिकों को पूरा पूरा प्रतिकर न देना बिल्कुल ग़लत बात है । मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि श्रीमती चक्रवर्ती ने—मैं नहीं जानता कि वह श्री चटर्जी हैं या श्रीमती चक्रवर्ती हैं—यह आरोप लगाया है कि हम छोटे मालिकों को नुक़सान पहुंचाने के लिये उत्सुक हैं । मेरा यह निवेदन है कि यह एक बिलकुल अनुचित आरोप है । कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है, फिर यह संसद् और यह सरकार कैसे कर सकती है । क्या यह संसद् अथवा कोई विधान सभा छोटे मालिकों को नुक़सान पहुंचाने की कल्पना भी कर सकती है ?

अब बड़े मालिकों को लीजिये । मैं औद्योगिक सम्पत्ति के बारे में कह रहा हूं । औद्योगिक उपक्रमों आदि के बारे में मेरा यह दृष्टिकोण है कि योजना के उद्देश्य के बिना अथवा किसी सामरिक महत्व के स्थान को अपने अधीन करने के उद्देश्य के बिना, सरकार कोई चीज़ या कोई पुराना कारखाना अपने अधिकार में न ले । ऐसा मैं क्यों कहता हूं ? यह बात मैं ने पहले भी किसी अन्य अवसर पर कही थी । हमारा देश औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है, हम अपने देश का औद्योगिक विकास करना चाहते हैं, हम सैकड़ों हज़ारों फैक्टरियां स्थापित करना चाहते हैं । क्या हम राज्य के समस्त संसाधनों को नई फैक्टरियां स्थापित करने में लगायें पर उसी धन से पुरानी सड़ी फैक्टरियों को ख़रीदें ? यह बात मेरी समझ में नहीं आती है ।

हम किसी भी चीज़ का अर्जन नहीं करना चाहते हैं जब तक कि वह हमारे आयोजन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के आड़े न आये । विरोधी दल के सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि राष्ट्रीयकरण की सामान्य योजना से समाज में समानता तथा समाजवाद लाने में बहुत सहायता मिलेगी, मेरे विचार से यह विचारधारा ठीक नहीं है । इस से समस्या हल नहीं होगी । समानता लाने के लिये किसी कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है, वह कार्यवाही सफल होती है या नहीं यह एक दूसरा प्रश्न है । समानता लाने का अर्थ निम्नतर स्तर पर समानता लाना नहीं है । हम अपने देश के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं और इस प्रकार वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं । इस या उस फैक्टरी के राष्ट्रीयकरण की बात मेरी योजना के अन्तर्गत नहीं आती है, केवल जब हमारी योजना के अनुसार कोई कार्यवाही करनी अपेक्षित होगी तो सरकार निश्चय ही नियंत्रण करेगी । अन्यथा सरकार को सरकारी फैक्टरियां स्थापित करनी चाहियें । सार्वजनिक क्षेत्र दिन-प्रति-दिन विस्तृत और महत्वपूर्ण होता जाता है, उसका उत्पादन बढ़ता जाता है, और साथ ही निजी क्षेत्र भी बढ़ रहा है । यदि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र पर अति हावी हो जाता है तो कोई प्रगति नहीं होती है केवल सामाजिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ हो सकता है । जब तक कि ऐसा करना अनिवार्य नहीं हो जायेगा, में ऐसा नहीं करूंगा ।

मैं ने अनेक बार अणु शक्ति का उल्लेख किया है, मैं चाहता हूं कि लोग यह अनुभव करें कि हमारी समस्त औद्योगिक गतिविधि पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है । जिस प्रकार भाप अथवा विद्युत् शक्ति के आविष्कार से समस्त औद्योगिक गतिविधियां एक नई दिशा में घूम गई थीं उसी प्रकार अणु शक्ति के प्रयोग से हमारी फैक्टरियों के कार्यकरण में कल्पनातीत अन्तर पड़ जायेगा । यह भी एक कारण है जिस से मैं राष्ट्रीय धन को इन फैक्टरियों के अर्जन में नहीं लगाना चाहता हूं क्योंकि उसी धन से मैं नये संयंत्र स्थापित कर सकता हूं ।

इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते हैं । यदि हम किसी सम्पत्ति का अर्जन करें तो हमको उचित प्रतिकर देना चाहिये । मैं व्यक्तिगत सम्पत्तियों का निर्देश कर रहा हूं । अधिकांश बड़ी सम्पत्तियां सीमित दायित्व वाले समवाय हैं जिनके अनेकों छोटे छोटे अंशधारी हैं । हम उनको वंचित नहीं करना चाहते हैं । अतः यह आशंका पूर्णतया निर्मूल है ।

यह सत्य है कि हमारा ध्येय समाज का समाजवादी संगठन करना है । निश्चय ही इसका आशय सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण है । परन्तु निजी क्षेत्र तो भी रहता है । निजी क्षेत्र तो सदैव ही रहता है । क्योंकि निजी क्षेत्र में कुटीर उद्योग तथा अन्य बहुत सी बातें आती हैं । और यह सब हमारे देश की औद्योगिक गतिविधि का अधिकांश भाग है । इसमें बड़े बड़े उद्योग भी आ जाते हैं । मुझे यह पता नहीं कि बीस वर्ष बाद क्या होगा, परन्तु यह निश्चित है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा और योजना निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के सम्बन्ध में बनाई जायेगी । निजी क्षेत्र को भी उसी योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत कार्य करना होगा ।

इन सब प्रयत्नों में हम समाज के समाजवादी ढांचे, औद्योगीकरण, बेकारी दूर करने, ऊंचे स्तरों और इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातों की चर्चा करते हैं । वास्तव में आव-

श्यकता इस बात की है कि किसी प्रकार भारतीय सामाजिक ढांचे के आधार को क्रियाशील और दृढ़ बनाया जाये । इसके लिये, ऊपर से प्रयत्न और कार्य तो होना ही चाहिये । समाज के उच्च कोटि के व्यक्तियों को तो क्रियाशील बनाना ही होगा क्योंकि वे अन्य कोटियों के लोगों को क्रियाशील बना देंगे । किन्तु जब तक आप भारतीय समाज की आधारशिला को, जिसमें लाखों मज़दूर, छोटी कमाई वाले लोग और भूमि-हीन किसान हैं, क्रियाशील नहीं बनाते, तब तक यह समस्या हल नहीं हो सकती । यदि ऊपर से लोगों को क्रियाशील बनाया जाये, तो निस्सन्देह मध्यम श्रेणी की संख्या बढ़ जायगी, जो अच्छी चीज़ है । आप उनको क्रियाशील बनाते रहें, इस प्रकार क्रियाशील व्यक्तियों की संख्या बढ़ती रहेगी । परन्तु भारतीय समाज के बड़े आधार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिये ऊपर से यह करते हुये हमें उस व्यापक आधार को प्रभावित करने का विचार करना होगा । एक बार उन्हें क्रियाशील बनाने और कुछ मात्रा में दृढ़ करने से भारत की प्रगति तेज हो जायेगी । सदा ऊपर से चलने से प्रगति तो होगी, परन्तु द्रुतगति से नहीं ।

महात्मा गांधी जी सदा निम्नतम श्रेणी को क्रियाशील बनाने के समर्थक थे । हमें यह किस प्रकार करना चाहिये, इस समय इसका निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है । भारतीय समाज का आधार वास्तविक चीज़ है । हमारे बहुत से प्रमुख और योग्य व्यक्तियों तथा उद्योग आदि में दिलचस्पी रखने वाले लोगों का यह मत है कि ऊपर से क्रियाशील बनाते बनाते नीचे तक आना चाहिये । मैं इस सिद्धान्त की आलोचना नहीं करता, परन्तु यह चाहता हूं कि हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । निस्सन्देह हमें ऊपर से तो काम करना ही होगा, परन्तु हमें किसी प्रकार इस आधार को क्रियाशील बनाना होगा । और इस आधार को क्रियाशील बनाने के लिये हमें सब प्रकार की अनेक सामाजिक कार्यवाहियां करनी होंगी । चोटी की और निचली श्रेणियों में अधिक अन्तर न रहने पाये, इसके लिये हमें यह तब कुछ करना पड़ेगा । यह मूलभूत दृष्टिकोण और किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित करना या उससे छीनने का दृष्टिकोण नहीं है, मैं इस दृष्टिकोण का विरोध करता हूं ।

अतः मैं इस सभा से निवेदन करूंगा कि संविधान का यह संशोधन विशेष एक छोटी रुकावट को दूर करता है, जो हमारे मार्ग में आ गई थी, और हमारे लिये उतना मार्ग साफ़ करता है जितना कि हम इस समय देख सकते हैं, हमारी इन विशाल योजनाओं आदि को आगे बढ़ाने वाला है, तथा न केवल इस समय और संसद् के लिये पूर्णतः उपयुक्त है, बल्कि जनता भी इसे स्वीकार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

श्री वल्लाथरास और श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन समान हैं । श्री वी० जी० देशपांडे का संशोधन अनियमित है, क्योंकि यह उसी विधेयक के समान है जो सभा द्वारा अस्वीकृत हो चुका है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : प्रधान मंत्री ने विधेयक को प्रस्तुत करते समय कहा था कि विधेयक में सुधार किया गया है, परन्तु वास्तव में सुधार के स्थान पर इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है । अतः मेरा निवेदन है कि दोनो विधयक भिन्न हैं । दूसरी बात यह है कि इस विधेयक